न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—प्रियंका तलानिया (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः—18/2021

उम्मेदसिंह पुत्र हरनाथसिंह जाति राजपूत उम्र 63 वर्ष निवासी लंच्छु तहसील रतनगढ़ जिला चरू (राज.)

———**प्रार्थी**

बनाम्

1. महेन्द्रसिंह पुत्र हरनाथ जाति राजपूत उम्र 45 वर्ष निवासी लंच्छु तहसील रतनगढ़ चुरू जिला (राज.)
2. राजेश कवंर सिंह पुत्री हरनाथसिंह जाति राजपूत उम्र 57 वर्ष निवासी लंच्छु तहसील रतनगढ़ जिला चरू (राज.)
3. सुरेश कवंर पुत्री हरनाथसिंह जाति राजपूत उम्र 55 वर्ष निवासी लंच्छु तहसील रतनगढ़ जिला चरू (राज.)
4. स्टेट आफॅ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व राजस्व अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

———**अप्रार्थीगण**

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित—

1. श्री अमित त्यागी —प्रार्थी की ओर से
2. श्री बलवंत सिंह —अप्रार्थी सं.—2 की ओर से
3. श्री प्रवीण सिंह राठौड —अप्रार्थी सं.—3 की ओर से

::निर्णय:: **दिनांक—04.01.2022**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा 212 आरटीए. का प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1ता3 के नाम से संयुक्त रूप से वाके चक 30 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ का खाता सं.—44 मुरब्बा नं. 35 पत्थर नं..—326/410 का किला नं. 1/2 का 0.177 कमाण्ड, 1/3 का 0.026 खाला, 2/1 का 0.228 कमाण्ड, 2/2 का 0.025 खाला, 3/1 का 0.228 कमाण्ड, 3/2 का 0.025 खाला, 4/1 का 0.228 कमाण्ड, 4/2 का 0.025 खाला, 5/1 का 0.228 कमाण्ड, 2/2 का 0.025 खाला, 6ता9 प्रत्येक 0.253 कमाण्ड, 2/1 का 0.228 कमाण्ड, 10/2 का 0.202 कमाण्ड, 11/2 का 0.202 कमाण्ड, 12 ता 19 प्रत्येक 0.253 कमाण्ड, 20/2 का 0.202, 21/3 का 0.177, 22/2 का 0.228, 23/2 का 0.228, 24/2 का 0.228 कमाण्ड, 25/2 का 0.227 अनकमाण्ड 5.945 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला व मुरब्बा नं.—36 पत्थर नं.—327/410 का किला नं.—1/1 का 0.228 कमाण्ड, 1/2 का 0.025 खाला, 2/1 का 0.228 कमाण्ड 2/2 का 0.025 खाला, 3/1 का 0.228 कमाण्ड, 3/2 का 0.025 खाला, 4/1 का 0.228 कमाण्ड, 4/2 का 0.025 खाला, 5/1 का 0.228, 2/2 का 0.025, 6ता20 प्रत्येक 0.253 21/2 का 0.228, 22/2 का 0.228, 23/2 का 0.228, 24/2 का 0.228, 25/2 का 0.227 कमाण्ड कुल 6.199 हैक्टर कमाण्ड मय खाला इस प्रकार कुल तादादी 12.144 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला संयुक्त रूप से

खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। जिसे आंयदा प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि कहा जाऐगा। जमाबन्दी की चित्र प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है।

2. उक्त कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.1 ता 3 के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज है जिसके प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 ता 3 विवादित भूमि के सह कृषक एवं रिकॉर्डेड खातेदार कृषक है प्रार्थीग्रस्त भूमि में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1ता3 के संयुक्त अधिकार एवं अधिपत्य में चली आ रही है।

3. विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1ता3 के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज होने के कारण प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1ता3 मध्य में पारिस्परिक विवाद काफी अरसा से चला आ रहा है और हमारे बीच आपस मे उक्त भूमि का उपयोग, उपभोग करने मे अक्सर विवाद होता रहता है। जिसका अभी तक पक्षकारान के मध्य खाता विभाजन नही हुआ है ओर ना ही अभी तक किसी हिस्सेदार के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि उक्त विवादत भूमि में किस हिस्सा पर व किस किला पर किस हिस्सेदार का कब्जा है। इसलिए पक्षकारान के मध्य हर समय उक्त भूमि की काश्त, सिचाई आदि को लेकर व अपने अपने हिस्सा एवं भूमि की किस्म अनुसार भूमि का खाता विभाजन करवा लेवे ताकि प्रत्येक पक्ष अपने अपने हिस्सा की भूमि को अच्छी तरह काश्त कर सके ओर उसका उपयोग उपभोग कर सके। लेकिन अप्रार्थीगण हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते। जिस पर बिल आखिरकार आज से अरसा पांच रोज पूर्व प्रार्थी ने अप्रार्थी सं.1 ता 3 से तहसील मे चल कर भूमि की किस्म अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे बंटवारा करवाने का कहा तो अप्रार्थी सं. 1ता3 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये तथा स्पष्ट कहा कि वे कोई बंटवारा नही करेगे बल्की वे शीध्र ही अपने–अपने हिस्सा का बैचान अन्यत्र कर उक्त भूमि के विशिष्ट किलाजात का हस्तान्तरण अन्यत्र कर देगे।

4. अप्रार्थी सं.–1ता3 विवादित भूमि का बिना खाता विभाजन करवाये अपने हिस्से की भूमि को विशिष्ट किलाजात में अन्यत्र बेचान करने के प्रयासरत है जिस सम्बध में अप्रार्थी सं.1ता 3 ने स्पष्ट धमकी भी दी है। जबकि अप्रार्थी 1 ता 3 को ऐसा करने का विधिक अधिकार नही है अगर अप्रार्थी सं. 1 अपने उक्त नापाक ईरादे में कामयाब हो गया और विवादित भूमि का विधिवत खाता विभाजन हुऐ बिना अप्रार्थी सं.1 ता 3 बिना खाता विभाजन करवाने विवादित भूमि के विशिष्ट किलाजात का बैचान करने मे कामयाब हो गये तो इससे और भी विवाद बढ़ जायेगे जिससे प्रार्थी के संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा ओर प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 पर सम्यक रूप से तामील होने के उपरांत भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या–01 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं.–02 की तरफ से अधिवक्ता श्री प्रवीण सिंह राठौड़ ने उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त वाद विषयक भूमि वादी एवं प्रतिपक्षी क्रम–1 लगायत–3 की संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं

अधिपत्य में चली आ रही है। जिसमें प्रतिपक्षी क्रम–2 का 1/4 हिस्सा निहित चली आ रही है और प्रतिपक्षी क्रम–2 अपने 1/4 हिस्से पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चली आ रही है और प्रतिपक्षी क्रम–2 अपने 1/4 हिस्से पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चली आ रही है। उक्त वाद विषयक शामलाती भूमि में वादी व प्रतिपक्षी नम्बर 1 लगायत 3 अपने अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे है और प्रतिपक्षी क्रम–2 द्वारा उक्त भूमि का सहखातेदारान के मध्य माप एवं सीमांकन के अनुसार विभाजन करवाने से कभी भी इंकार नही किया गया है और ना ही प्रतिपक्षी क्रम–2 द्वारा कभी भी शामलाती भूमि मे से विशिष्ट भूमि को बेचान करने की धमकी दी है, किन्तू फिर भी प्रार्थी द्वारा स्वयं अनुचित लाभ उठाने व प्रतिपक्षी क्रम–2 को उसके हिस्से की भूमि व विधिक हक अधिकारों से वंचित करने के दुराशय से इस मद में झुठे तथ्य आलेखित किये है। प्रतिपक्षीगण द्वारा उक्त शामलाती भूमि में विशिष्ट किलाजात को बैचान करने की धमकी नही दी है, उक्त शामलाती भूमि में प्रतिपक्षी संख्या–2 का 1/4 हक हिस्सा निहित है और प्रतिपक्षी क्रम–2 को कानूनन धारा–44 सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम व धारा 41 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपनी 1/4 अविभाजित हक हिस्से की विधिक खातेदारी की भूमि को उपयोग–उपभोग करने, काश्त आदि करने एवं बेचान आदि करने के हर प्रकार से विधिक अधिकार प्राप्त है, जिसके संदर्भ मे प्रार्थी को प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्राप्त नही है। कानून का सुस्थापित सिद्वान्त है कि एक सहखातेदार को अपनी अविभाजित भूमि को उपयोग–उपभोग करने बेचान आदि करने के विधिक अधिकार से वंचित व अवरोधित नही किया जा सकता और ना ही एक सहखातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित की जा सकती है किन्तू फिर भी प्रार्थी द्वारा ऐनकेन प्रकरण झुठे व मनगंढत तथ्य आलेखित कर प्रतिपक्षीगण को उनकी भूमि से वंचित करने के दुराशय से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिपक्षीगण उक्त भूमि के कानूनन सहखातेदार व काबिज काश्त है और प्रार्थी के पक्ष मे प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति निहित होने का प्रश्न ही नही है। इसके विपरीत यदि उक्त भूमि के संदर्भ में सहखातेदारान के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित की गयी तो प्रार्थी के मुकाबले प्रतिपक्षीगण सहखातेदारान के विधिक व संवैधानिक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और सहखातेदार प्रतिपक्षीगण अपने ही विधिक साम्पत्तिक व खातेदारी अधिकारों से वंचित हो जाऐगे और अपनी भूमि के उपयोग–उपभोग से अवरोधित हो जायेगें।

6. विशेष कथन में निवेदन किया कि उक्त वाद विषयक भूमि प्रार्थी व प्रतिपक्षी क्रम–1 लगायत–3 की शामलाती खातेदारी व अधिपत्य की भूमि है, जिसमें प्रतिपक्षी नम्बर–2 का 1/4 हक हिस्सा निहित चला आ रहा है और प्रतिपक्षी नम्बर–2 को अपने 1/4 हक हिस्से को हर प्रकार से उपयोग–उपभोग बैचान रहन, हस्तांतरण आदि करने के सभी हक अधिकार कानूनन प्राप्त है किन्तु प्रार्थी, प्रतिपक्षी क्रम–2 को उसके हक हिस्से की भूमि से वंचित करने पर आमदा हो रहा है। इसी आशय से प्रार्थी द्वारा झुठे व मनगढत तथ्य आलेखित कर माननीय न्यायालय के समक्ष यह वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया है जो कानूनन मेन्टेनेबल नही है। प्रतिपक्षी नम्बर 2 वादग्रस्त भूमि की सहखातेदार कृषक है ओर कानूनन एक

खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रसारित नही की जा सकती है जिसके कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा कानूनन मेंटेनेबल नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

7. अप्रार्थी संख्या–03 की तरफ से अधिवक्ता श्री प्रवीण सिंह राठौड़ ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वाके चक 30 एपीडी तहसील अनूपगढ़ का खाता सं.–44 मुरब्बा नं.–35 पत्थर नं.–326/410 की कुल 5.945 हैक्टर कमाण्ड/ अनकमाण्ड मय खाला व मुरब्बा नं.–36 पत्थर नं.–327/410 की कुल 6.199 हैक्टर कमाण्ड मय खाला कुल तादादी 12.144 हैक्टर कमाण्ड/ अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1ता3 के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज है जो रिकॉर्ड के तथ्य है जो रिकॉर्ड के अनुसार स्वीकार है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1ता3 के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकॉर्ड में बहिस्सा बराबर प्रत्येक का 1/4 हिस्स के रूप में बतौर खातेदार कृषक दर्ज है जो प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. –1ता3 के उनके हिस्सानुसार संयुक्त अधिकार व अधिपत्य में है। चूंकि प्रार्थी के हिस्सा व कब्जा की भूमि अलग करने के उपरांत शेष भूमि प्रार्थी , मुझ अप्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1 व 2 के संयुक्त धारणाधिकार में चली आ रही है जो वर्तमान मे भी संयुक्त रूप से संयुक्त खाता में दर्ज है जिसका भी अब तक विभाजन नही हुआ। तथा नही यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि किस किलाजात पर किसका कब्जा है तथा प्रार्थी स्वयं जानबुझकर भूमि का बंटवारा नही करवाना चाहता है जिसको लेकर मुझ अप्रार्थी एवं अन्य सह कृषकों के मध्य भी अपने अपने हिस्सा की भूमि की काश्त एवं सिंचाई कर आदि लेकर अक्सर विवाद रहता है जिस पऱ प्रार्थी के साथ मुझ अप्रार्थी द्वारा भी प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1व 2 को कहा कि अपने संयुक्त कब्जाकाश्त की भूमि का भूमि की किस्म के अनुसार खाला रास्ता का मध्यनजर रखते हुए खाता विभाजन करवाकर अपना अपना खाता अलग करवा लेगें ताकि अपने अपने हिस्सा की भूमि को समुचित रूप से काश्त एवं सिचिंत कर सके व अपने अपने हिस्सा का राजस्व कर एवं सिचांई कर अदा कर सके व अपने अपने हिस्स का राजस्व अलग बंधवा सके लेकिन प्रार्थी ऐसा करने से साफ इंकार है। मन अप्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद सं 2 मे दर्ज संयुक्त खाता की कृषि भूमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1ता3 के बीच उनके हिस्सानुसार भूमि की किस्म अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी अनुसार खाला रास्ता आदि को मध्यनजर रख कर भूमि का खाता विभाजन किया जाकर मुझ अप्रार्थी का खाता अलग खोला जाकर मुझ अप्रार्थी के हिस्सा व कब्जा में आए किलाजात की निशान देही देकर भौतिक रूप से कब्जा दिलाया जावें। ताकि मुझ अप्रार्थीया अपने हिस्सा व कब्जा की भूमि का समुचित रूप से उपयोग उपभोग कर सके। प्रार्थी जानबुझकर उक्त संयुक्त खाता की भूमि का खाता विभाजन नही करवाना चाहता और तथ्यों को छुपाकर स्थाई व्यादेश प्राप्त करना चाहता है।। चूंकि उक्त कृषि भूमि मे मन अप्रार्थी का 1/4 हक व हिस्सा निहित है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपनी 1/4 अविभाजित हक हिस्से की खातेदारी अधिकारों की मन अप्रार्थी हर प्रकार का उपभोग उपभोग करने की विधिक अधिकारी है जिसके संदर्भ में प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार का व्यादेश प्राप्त करने का विधिक अधिकार प्राप्त नही है। कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक सह खातेदार को अपनी अविभाजित भूमि को उपयोग उपभोग करने , रहन, बेचान आदि

करने के विधिक अधिकार से वंचित व अपरोधित नही किया जा सकता और ना ही एक सह खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जा सकती है लेकिन प्रार्थी द्वारा येन केन प्रकरेण झुठे एंव मनगढंत तथ्यों के आधार पर मन अप्रार्थी को उसकी भूमि से वंचित करने के दुराश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कतई विधिक अधिकारी नही है। फलरूवरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

8. हमने वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों का ससम्मान अवलोकन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के सुसंगत प्रावधानों पर मनन के पश्चात न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत 212 आर.टी.ए. के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है–

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– वकील प्रार्थी निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1ता3 के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज होने के कारण प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1ता3 मध्य में पारिस्परिक विवाद काफी अरसा से चला आ रहा है और हमारे बीच आपस मे उक्त भूमि का उपयोग, उपभोग करने मे अक्सर विवाद होता रहता है। जिसका अभी तक पक्षकारान के मध्य खाता विभाजन नही हुआ है ओर ना ही अभी तक किसी हिस्सेदार के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि उक्त विवादत भूमि में किस हिस्सा पर व किस किला पर किस हिस्सेदार का कब्जा है। इसलिए पक्षकारान के मध्य हर समय उक्त भूमि की काश्त, सिचाई आदि को लेकर व अपने अपने हिस्सा एवं भूमि की किस्म अनुसार भूमि का खाता विभाजन करवा लेवे ताकि प्रत्येक पक्ष अपने अपने हिस्सा की भूमि को अच्छी तरह काश्त कर सके ओर उसका उपयोग उपभोग कर सके। चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1ता3 विवादित कृषि भूमि में सह–काश्तकार है एवं उक्त कृषि भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.–1ता3 का हक व अधिकार है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाता की सम्पति है। जिसमे प्रार्थी का हित निहित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते है तथा अप्रार्थीगण को इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहते है कि वे अपनी भूमि विक्रय या हस्तान्तरित नहीं करे। जब तक संयुक्त खाता की कृषि भूमि में किला विभाजन नही हो जाता सह–खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता और सह–खातेदार काश्तकार को उसके हिस्से की भूमि का बेचान करने से निर्बन्धित किया जा सकता है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस के तथ्यों से भी उक्त तथ्य व विधिक सिद्धान्तों को बल मिलता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध है।

2. **सुविधा का संतुलनः**– जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध होता है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी नहीं की जाती है तो अप्रार्थीगण के अपेक्षा प्रार्थी को ज्यादा असुविधा होगी तथा प्रार्थी अपनी जरूरतों एवं कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगें। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध है।

3. अपूर्णीय क्षतिः—प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में तय हो चुके है तथा अप्रार्थीगण अपने पक्ष में दोनो बिन्दू साबित करने में असफल रहे है। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध है।

::आदेश::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर वाके चक 30 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ का खाता सं.—44 मुरब्बा नं. 35 पत्थर नं.. —326/410 का किला नं. 1/2 का 0.177 कमाण्ड, 1/3 का 0.026 खाला, 2/1 का 0.228 कमाण्ड, 2/2 का 0.025 खाला, 3/1 का 0.228 कमाण्ड, 3/2 का 0.025 खाला, 4/1 का 0.228 कमाण्ड, 4/2 का 0.025 खाला, 5/1 का 0.228 कमाण्ड, 2/2 का 0.025 खाला, 6ता9 प्रत्येक 0.253 कमाण्ड, 2/1 का 0.228 कमाण्ड, 10/2 का 0.202 कमाण्ड, 11/2 का 0.202 कमाण्ड, 12 ता 19 प्रत्येक 0.253 कमाण्ड, 20/2 का 0.202, 21/3 का 0.177, 22/2 का 0.228, 23/2 का 0.228, 24/2 का 0.228 कमाण्ड, 25/2 का 0.227 अनकमाण्ड कुल 5.945 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला व मुरब्बा नं.—36 पत्थर नं. —327/410 का किला नं.—1/1 का 0.228 कमाण्ड, 1/2 का 0.025 खाला, 2/1 का 0.228 कमाण्ड 2/2 का 0.025 खाला, 3/1 का 0.228 कमाण्ड, 3/2 का 0.025 खाला, 4/1 का 0.228 कमाण्ड, 4/2 का 0.025 खाला, 5/1 का 0.228, 2/2 का 0.025 खाला, 6ता20 प्रत्येक 0.253 21/2 का 0.228, 22/2 का 0.228, 23/2 का 0.228, 24/2 का 0.228, 25/2 का 0.227 कमाण्ड कुल 6.199 हैक्टर कमाण्ड मय खाला इस प्रकार कुल तादादी 12.144 हैक्टर मय खाला रकबा में अप्रार्थी सं.—01ता3 प्रार्थी के हिस्से तक विशिष्ट किलों का बेचान ना करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार अनूपगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 04/01/2023 को सरेआम सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ (श्रीगंगानगर)

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़